न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 50/2020

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

नरेश कुमार पुत्र श्री बलराम जाति जाट उम्र 28 वर्ष निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

.......वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र श्री गिरधारीराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. पूनम {पुत्री श्री बलराम} पत्नी श्री रमेश कुमार निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)
अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी–1 व 2)
पैरोकार राज (प्रति.–3)

दिनांक 03.07.2020

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 बलराम वादी के पिताजी तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन है। चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 51/32 के मुरब्बा नम्बर 7, 14, की कुल 7.285 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1(बलरांम पुत्र गिरधारी) के नाम से 3643/7285 हिस्सा यानि 3.643 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 31/29 के मुरब्बा नम्बर 37, 39, 40, 47 की कुल 14.802 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2(बलराम पुत्र गिरधारी) के नाम 183/2467 हिस्सा यानि 1.098 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 5 क्यू के खाता संख्या 51 एवं चक 6 क्यू के खाता संख्या 31 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त वर्णित चक 5 क्यू की कृषि भूमि वादी के दादाजी गिरधारी पुत्र जैसाराम के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन नामान्तरण संख्या 165 दिनांक 01/05/2003 के द्वारा एवं वादी की दादीजी राधादेवी पत्नी गिरधारी के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन नामान्तरण संख्या 505 दिनांक 20/05/2019 के द्वारा वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है तथा चक 6 क्यू में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि भी वादी के दादाजी गिरधारी पुत्र जैसाराम के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन नामान्तरण संख्या 163 दिनांक 01/05/2003 के द्वारा एवं वादी की दादीजी राधादेवी पत्नी गिरधारी के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन नामान्तरण संख्या 506

Scanned by CamScanner

दिनांक 20/06/2019 के द्वारा वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी एवं दादीजी के स्वर्गवास होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 5 क्यू के नामान्तरण संख्या 165, 505 एवं चक 6 क्यू के नामान्तरण संख्या 163 एवं 506 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के दो सन्तान एक पुत्री व एक पुत्र (पूनम एवं नरेश कुमार) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 31/29 के मुरब्बा नम्बर 37, 39, 40, 47 की कुल 14.802 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से बलराम पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज 183/2467 हिस्सा यानि 1.098 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी को घरेलू बंटवारा में दी हुई है लेकिन उक्त पारिवारिक विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, वादी को घरेलू बंटवारा में दी उक्त वर्णित चक 6 क्यू की 1.098 है. कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज करवाने में पूर्णतः सहमत है अतः उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष पेश हुए लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद दायर कर उक्त हिस्सा घोषित करवाने की हिदायत दी गई है लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया है यही बिनाय मुखास्मत है इसलिए वादी के पास उक्त वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 31/29 के मुरब्बा नम्बर 37, 39, 40, 47 की कुल 14.802 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से बलराम पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज 183/2467 हिस्सा यानि 1.098 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी की घोषित की जावे।

(ख) उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 26.06.2020 को अपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसके मुताबिक उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा गौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 31/29 के मुरब्बा नम्बर 37, 39, 40, 47 की कुल 14.802 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से बलराम पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज 183/2467 हिस्सा यानि 1.098 है. कृषि भूमि

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी मुताबिक वादी नरेश कुमार पुत्र बलराम को घरेलू बंटवारा में दी हुई है। अतः उक्त राजीनामानुसार चक 6 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 31/29 के मुरब्बा नम्बर 37, 39, 40, 47 की कुल 14.802 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से बलराम पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज 183/2467 हिस्सा यानि 1.098 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम संयुक्त खाता में जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 ग्राम 5 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा खाता संख्या 51/32, जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 ग्राम 6 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा खाता संख्या 21/29 संयुक्त खाता में पेश की। वादी द्वारा अपने दादा गिरधारी लाल के नाम जमाबंदी ग्राम 5 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा खाता संख्या 13, जमाबंदी ग्राम 6 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा खाता संख्या 11 पेश की। वादी द्वारा विरासतन नामान्तरण की फोटो प्रतियां पेश की। जिनका अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं पक्षकारान मध्य राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः पक्षकारान के मध्य राजीनानमा होने से राजीनामा के आधार पर वादी को चक 6 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 31/29 के मुरब्बा नम्बर 37, 39, 40, 47 की कुल 14.802 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से बलराम पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज 183/2467 हिस्सा यानि 1.098 है. का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 03.07.2020 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner